Mail Search DCCB R Scan202 VS ques

स्पष्टीकरण

विधानसभा सत्र जुलाई के तारांकित प्रश्न क्र. 315 के प्रश्नांश 'क' की
माननीय श्री [illegible] कुमार (आबकारी) वर्मा सदन में [illegible] [illegible] दिनांक 20/7/2026

Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Panna (MP)

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, पन्ना (मप्र)

H.O. College Road, PANNA 488001

☎ 07732 – 252455, FAX : 07732 – 252033 Email ID – cbspanna.mp@gmail.com

पन्ना, दिनांक 29.06.2026

क्रमांक / स्थापना / प्रशा. / 2026 / 408

प्रति,

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश
विंध्याचल भवन भोपाल (म.प्र.)

विषय – जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. पन्ना में पदोन्नति नीति अनुमोदन के पूर्व ही पदोन्नति दिये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण।

संदर्भ – आपका पत्र क्रमांक / साख / सीबी–2 / पन्ना / 2026 / 153 अ भोपाल दिनांक 30.01.2026

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. पन्ना को स्पष्टीकरण जारी किया गया है जो बैंक को आज दिनांक 29.06.2026 को प्राप्त हुआ है। जिसमें पदोन्नति नीति अनुमोदन कराये बिना बैंक कर्मचारियों को पदोन्नत किये जाने के संबंध मे स्पष्टीकरण चाहा गया है। प्राप्त स्पष्टीकरण का उत्तर निम्नानुसार प्रेषित है –

पदोन्नति नियम विरुद्ध नही की गई है। बल्कि आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. के सेवायुक्तों के नियोजन, निबंधन तथा कार्यस्थिति सेवानियम 2025 के अंतर्गत वर्णित प्रावधान क्रमांक 7.2.2 एवं 7.2.3 मे निहित नियमों के अंतर्गत ही भृत्य (अधीनस्थ स्टॉफ) से बैंकिंग सहायक पद पर 10 प्रतिशत पदोन्नति हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध की गई है।

1. चूंकि पदोन्नति किये गये कर्मचारियों से कोर्ट कमिश्नर महोदय की बैठक दिनांक 16.12.2020 एवं दिनांक 01.01.2021 के निर्णय अनुसार उक्त कर्मचारियों से लिपिक / कम्प्यूटर आपरेटर पद पर कार्य करने की अनुमति दी गई थी। एक भृत्य जो अनुसूचित जनजाति मे से है बैंकिंग सहायक की आहरताएं / शैक्षणिक योग्यता होने से 03 भृत्यों की पदोन्नति पात्रता के आधार पर की गई है। उक्त पदोन्नति सामान्य क्रम की नही थी, भृत्य पद पर होने तथा विगत वर्षों से लिपिक पद पर कार्यरत निर्धारित योग्यता धारित भृत्यों की पदोन्नति की गई है, जिसकी सेवानियम में वर्णित पंजीयक की सहमति नहीं ली गई।
2. सेवानियम मे पदोन्नति हेतु प्रकिया का संचालक मण्डल द्वारा पंजीयक की सहमति से किये जाने का उल्लेख है, अनुमोदन कराने का उल्लेख नहीं है। वर्तमान मे जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. पन्ना में संचालक मण्डल नही है, माननीय सुप्रीय कोर्ट द्वारा कोर्ट कमिश्नर नियुक्त है। इसलिये सहमति नहीं ली गई।

संदर्भित पत्र (स्पष्टीकरण) के साथ विधानसभा मे दिये गये उत्तर का पत्र संलग्न है। जिसमें पदोन्नति निरस्त किये जाने के निर्देश का उल्लेख है, पत्र के परिपालन मे पदोन्नति निरस्त किये जाने हेतु मा.कोर्ट कमिश्नर महोदय की आगामी बैठक मे विषय निर्णय हेतु रखा जायेगा।

अतः वांछित स्पष्टीकरण का जवाब सादर प्रेषित है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या० पन्ना
दिनांक –वही

पृ0क्र0 / स्थापना / प्रशा. / 2026–27 / 408

प्रतिलिपि :–

1. संयुक्त आयुक्त सहकारिता सागर संभाग सागर।
2. सहायक आयुक्त सहकारिता पन्ना।

मुख्यकार्यपालन अधिकारी,
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. पन्ना (म.प्र.)

GAYATRI PARASHAR Digitally signed by GAYATRI PARASHAR Date: 2026.07.09 18:17:27 +05'30'

संयुक्त आयुक्त सहकारिता, म.प्र.